अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2018

सं. 42/2018-केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 834(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी-सीएमपी-04 में 2 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2018 के मध्य आवेदन किया है, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में घोषणा करने के लिए समय सीमा को राजपत्र में इस अधिसुचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए बढाते हैं।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)] डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2018

No. 42/2018-Central Tax

G.S.R. 834(E).—In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, hereby extends the time limit for making the declaration in **FORM GST ITC-01** of the said rules, by registered persons who have filed the application in **FORM GST-CMP-04** of the said rules between the 2nd day of March, 2018 and the 31st day of March, 2018, for a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L, Under Secy.